▪▪Chapter 33 जमानत और बंध पत्र के बारे में उपबंध

Sec 441 से 450 तक

Question 1. जब अभियुक्त द्वारा बन्धपत्र निष्पादित कर दिया जाता है तो उसे अभिरक्षा से उन्मोचित कर दिये जाने की प्रक्रिया किस धारा में उपवर्णित है ?

A. धारा 442 में

Question 2. यदि भूल या कपट के कारण अपर्याप्त प्रतिभू स्वीकार किये गये हैं अथवा यदि वे बाद में अपर्याप्त हो जाते हैं , तो न्यायालय क्या कर कता है ?

A. ऐसे में न्यायालय यह निर्देश देते हुए गिरफ्तारी का वारंट जारी कर सकता है कि जमानत पर छोड़े गये व्यक्ति को उसके समक्ष लाया जाय और वह पर्याप्त प्रतिभूति दे ।

(धारा 443)

Question 3. पर्याप्त प्रतिभूति देने में असफल रहने पर न्यायालय क्या कर सकता है ?

A. अभियुक्त को जेल के सुपुर्द कर सकता है ।

(धारा 443) ।

Question 4. प्रतिभुओं के उन्मोचन से संबंधित धारा कौन - सी है ?

A. धारा 444

Question 5. कोई न्यायालय या उपयुक्त अधिकारी बन्धपत्र के निष्पादन के बदले में किसी रकम के सरकारी वचन - पत्र को निक्षिप्त करने की अनुज्ञा दे सकता है , यह नियम किस बन्धपत्र को नहीं होती है ?

A. सदाचार के लिए बन्धपत्र को । (धारा 445) ।

Question 6. यदि शास्ति न देने के लिए पर्याप्त कारण दर्शित नहीं किया जाता है और शास्ति नहीं दी जाती है , तो न्यायालय क्या कर सकेगा ?

A. ऐसे में न्यायालय शास्ति की वसूली जुर्माना के रूप में कर सकता है ।

(धारा 446 (2)

Question 7. शास्ति का भुगतान न किये जाने पर उसके प्रतिभू के रूप में आबद्ध व्यक्ति को शास्ति की वसूली का आदेश देने वाला न्यायालय क्या आदेश दे सकेगा ?

A. ऐसे प्रतिभू के लिए ऐसा न्यायालय आदेश दे सकता है कि वह सिविल कारगार में 6 मास तक की अवधि के लिए कारावासित किया जाय ।

(धारा 446 (2)

Question 8. यदि कोई न्यायालय किसी अवयस्क से बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा करता है तो उसके बदले किसका बन्धपत्र स्वीकार कर सकता है ?

A. ऐसा न्यायालय उसके बदले केवल प्रतिभू या प्रतिभुओं द्वारा निष्पादित बन्धपत्र स्वीकार कर सकता है ।

(धारा 448)

Question 9. मुचलकों पर देय धनराशि को वसूल करने की आदेश देने की शक्ति किसे है ?

A. उच्च न्यायालय या सेशन न्यायालय को ।

(धारा 450)

▪▪Chapter 34 संपत्ति का व्ययन

Sec 451 से 459 तक

Question 1. किसी दाण्डिक प्रकरण में तीन सौ पचास बोरी प्याज जब्त किये गये थे । प्रकरण का शीघ्र निर्णय होना सम्भव नहीं है तो ऐसे जब्तसुदा प्याज का निस्तारण किस प्रकार से किया जायेगा ?

A. प्याज , शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील होने से न्यायालय विक्रय या उसका अन्यथा व्ययन हेतु आदेश दे सकता हैं । [धारा 451]

Question 2. किसी सम्मति के कब्जे का हकदार होने का दावा करने वाले व्यक्ति को उस सम्पत्ति का परिदान न्यायालय कैसे आदेश के द्वारा कर सकता है ?

A. ऐसे परिदान का आदेश किसी शर्त के बिना या इस शर्त के साथ लिया जा सकता है कि वह प्रतिभुओं रहित या सहित बंधपत्र निष्पादित करे कि यदि उस सम्पत्ति के परिदान का आदेश अपील या पुनरीक्षण में उपांतरित या अपास्त कर दिया गया , तो वह उस सम्पत्ति को न्यायालय में लौटा देगा ।

[धारा 452 (2)]

Question 3. धारा 452 (1) के अधीन सम्पत्ति के संबंध में न्यायालय द्वारा किया गया आदेश कब कार्यान्वित किया जा सकेगा ?

A. 2 माह की अवधि व्यतीत हो जाने के पश्चात् , अथवा जहां अपील उपस्थित की गयी है वहां जब तक उस अपील का निपटारा न हो जाय , किन्तु यह अवधि शीघ्रतया या प्रकृत्या क्षयशील सम्पत्ति के संबंध में लागू नहीं होगी ।

[धारा 452 (4)]

Question 4. स्थावर सम्पत्ति का कब्जा लौटाने के संबंध में न्यायालय कब अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है ?

A.

(i) जब , न्यायालय द्वारा किसी को अपराधिक बल या बल प्रदर्शन या आपराधिक अभित्रास से युक्त किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किया जाय और

(ii) न्यायालय को यह प्रतीत हो कि ऐसे बल या बल प्रदर्शन या अभिनास से कोई व्यक्ति किसी स्थावर सम्पत्ति से बेकब्जा किया गया है ।

[धारा 456 (1) का परन्तुक]

Question 5. सम्पत्ति से बेकब्जा किये गये व्यक्ति को , कब्जा लौटाने का अभियुक्त को आदेश , दोषसिद्धि के पश्चात् कब तक दिया जा सकेगा ?

A. दोषसिद्धि के 1 मास के अंदर तक ही ।

[धारा 456]

Question 6. संहिता की कौन - सी धारा पुलिस अधिकारी द्वारा अभिग्रहण की । गयी सम्पत्ति के लिए प्रक्रिया प्रस्तुत करती है ?

A. धारा 457

Question 7. यदि 6 मास के अंदर कोई व्यक्ति सम्पत्ति पर अपना दावा सिद्ध नहीं करता , और सम्पत्ति , जिस व्यक्ति के कब्जे में पायी गयी थी , वह उसे अपने वैध रूप से अर्जन को सिद्ध नहीं कर पाता , तो मजिस्ट्रेट क्या आदेश दे सकता है ?

A. यह आदेश दे सकता है कि ऐसी सम्पत्ति राज्य सरकार के व्ययनाधीन होगी तथा उस सरकार द्वारा विक्रय की जा सकेगी ।

[धारा 458]

Question 8. मजिस्ट्रेट किसी विनश्वर प्रकृति की सम्पत्ति को बेचने का आदेश कब दे सकता है ?

A. जब

(a) सम्पत्ति पर कब्जे का हकदार व्यक्ति अज्ञात या अनुपस्थित है और सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील है ,

(b) अथवा उस मजिस्ट्रेट की , जिसे उसके अभिग्रहण की रिपोर्ट की गयी है , यह राय है कि उसका विक्रय स्वामी के फायदे के लिए होगा , अथवा

(c) ऐसी सम्पत्ति का मूल्य 500 रुपये से कम है ।

[धारा 459]

▪▪Chapter 35 अनियमित कार्यवाहियाँ

Sec 460 से 466 तक

Question 1. संहिता के किस अध्याय एवं धाराओं में अनियमित कार्यवाहियों के संबंध में उपबन्ध किया गया है ?

A. अध्याय 35 की (धारा 460 से लेकर 466 तक में) ।

Question 2. गलत स्थान पर की गयी दाण्डिक कार्यवाही का क्या विधिक प्रभाव पड़ता है ?

A. वस्तुतः न्याय का हनन होने पर ही ऐसी कार्यवाही को अपास्त किया जा सकता है ।

[धारा 462]

Question 3. ऐसी कौनसी अनियमितताएं है जो कार्यवाही को दूषित नहीं करती है ?

A : यदि कोई मजिस्ट्रेट , जो निम्नलिखित बातों में से किसी को करने के लिए विधि द्वारा सशक्त नहीं है , गलती से सद्भावपूर्वक उस बात को करता है तो उसकी कार्यवाही को केवल इस आधार पर कि वह ऐसे सशक्त नहीं था , अपास्त नहीं किया जाएगा , अर्थात्

(a) धारा 94 के अधीन तलाशी - वारंट जारी करना ;

(b) किसी अपराध का अन्वेषण करने के लिए पुलिस को धारा 155 के अधीन आदेश देना ;

(c) धारा 176 के अधीन मृत्यु- समीक्षा करना ;

(d) अपनी स्थानीय अधिकारिता के अन्दर के उस व्यक्ति को जिसने ऐसी अधिकारिता की सीमाओं के बाहर अपराध किया है , पकड़ने के लिए धारा 187 के अधीन आदेशिका जारी करना ;

(e) किसी अपराध का धारा 190 की उप - धारा (1) के खण्ड (a) या खण्ड (b) के अधीन संज्ञान करना ;

(f) किसी मामले को धारा 192 की उप - धारा (2) के अधीन हवाले करना ;

(g) धारा 306 के अधीन क्षमादान करना ;

(h) धारा 410 के अधीन मामले को वापस मँगाना और उसका स्वयं विचारण करना अथवा

(i) धारा 458 या धारा 459 के अधीन सम्पत्ति का विक्रय ।

[धारा 460]

Question 4. ऐसी कौन - सी अनियमितताएं है जो कार्यवाही को दूषित करती है ?

A : यदि कोई मजिस्ट्रेट , जो निम्नलिखित बातों में से कोई बात विधि द्वारा इस निमित्त सशक्त न होते हुए , करता है तो उसकी कार्यवाही शून्य होगी , अर्थात् :

(a) सम्पत्ति को धारा 83 के अधीन कुर्क करना और उसका विक्रय

(b) किसी डाक या तार प्राधिकारी की अभिरक्षा में किसी दस्तावेज पार्सल या अन्य चीज के लिए तलाशी - वारण्ट जारी करना

(c) परिशान्ति कायम रखने के लिए प्रतिभूति की माँग करना

(d) सदाचार के लिए प्रतिभूति की माँग करना :

(e) सदाचारी बने रहने के लिए विधिपूर्वक आबद्ध व्यक्ति को उन्मोचित करना

(f) परिशान्ति कायम रखने के बन्धपत्र को रद्द करना

(g) भरण - पोषण के लिए आदेश देना ;

(h) स्थानीय न्यूसेन्स के बारे में धारा 133 के अधीन आदेश देना ;

(i) लोक न्यूसेन्स की पुनरावृत्ति या उसे चालू रखने की धारा 143 के अधीन प्रतिषेध करना ;

(j) अध्याय 10 के भाग ग या भाग घ के अधीन आदेश देना ;

(k) किसी अपराध का धारा 190 की उपधारा (1) के खण्ड (c) के अधीन संज्ञान करना

(l) किसी अपराध का विचारण करना

(m) किसी अपराधी का संक्षेपतः विचारण करना

(n) किसी अन्य मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित कार्यवाही पर धारा 325 के अधीन दण्डादेश पारित करना ;

(o) अपील को विनिश्चय करना ;

(p) कार्यवाही को धारा 397 के अधीन मँगाना अथवा

(q) धारा 446 के अधीन पारित आदेश का पुनरीक्षण करना ।

[धारा 461]

▪▪Chapter 36 कुछ अपराधों का संज्ञान करने के लिए परिसीमा

Sec 467 से 473 तक

Question 1. परिसीमा - काल का आरम्भ कब होता है ?

A : अपराध की तारीख या अपराध की जानकारी की तारीख अथवा अपराधी का प्रथमतः पता लगने की तारीख से परिसीमा - काल का आरम्भ होता है ।

[धारा 469]

Question 2. जिस तारीख पर न्यायालय बंद है और उसी दिन परिसीमा काल समाप्त होता है । ऐसी स्थिति में , क्या उस तारीख को विधितः अपवर्जन किया जा सकता है ?

A : जिस तारीख पर न्यायालय बंद है , उस दिवस का समयावधि में अपवर्जन (exclusion) किया जायेगा ।

[धारा 471]

Question 3. क्या न्यायालय परिसीमाकाल समाप्त होने के बाद भी किसी अपराध का प्रंसज्ञान ले सकता है ? यदि हां तो किन परिस्थतियों में ?

A : जी हां , यदि विलम्ब का उचित रूप से स्पष्टीकरण कर दिया गया है या न्याय के हित में ऐसा करना आवश्यक है ।

[धारा 473]

Question 4. संज्ञान लेने के लिये परिसीमा काल की अवधि कितनी है ?

A : परिसीमा काल

(a) छः मास होगी , यदि अपराध केवल जुर्माने से दण्डनीय है ,

(b) एक वर्ष होगा , यदि अपराध एक वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है ;

(c) तीन वर्ष होगा , यदि अपराध एक वर्ष से अधिक किन्तु तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के कारावास से दण्डनीय है ।

▪जिन एक से अधिक अपराधों का एक साथ विचारण किया जा सकता है , परिसीमा काल उस अपराध से अवधारित (determined) किया जायेगा जो , यथास्थिति , कठोरतर या कठोरतम दण्ड से दण्डनीय है ।

[धारा 468]

▪▪Chapter 37 प्रकीर्ण

Sec 474 से 484 तक

Question 1. कोई उच्च न्यायालय यदि किसी अपराध का विचारण करता है । तो वह कौन - सी प्रक्रिया अपनायेगा ?

A. वैसी ही प्रक्रिया अपनायेगा , जिसको सेशन न्यायालय अपनाता , यदि उसके द्वारा उस मामले का विचारण किया जाता ।

(धारा 474)

Question 2. सेना न्यायालयों द्वारा विचारणीय व्यक्तियों को किसे सौंपे जाने का उपबंध संहिता की धारा 475 किया गया है ?

A. कमान ऑफिसरों को ।

Question 3. सेना न्यायालय द्वारा विचारणीय अपराध के अभियुक्त को पकड़ने और सुरक्षित रखने के लिए प्रत्येक मजिस्ट्रेट अधिकतम प्रयास कब करेगा ?

A. जब उसे किसी स्थान में नियोजित या आस्थित सैनिकों , नाविकों या वायु सैनिकों के किसी यूनिट या निकाय के कमान ऑफिसर से उस प्रयोजन केलिए लिखित आवेदन प्राप्त होता है ।

(धारा 475 (2)

Question 4. दण्ड प्रक्रियासंहिता के अंतर्गत किस धारा में उच्च न्यायालय की नियम बनाने की शक्ति उपबंधित है ?

A. धारा 477 में

Question 5. कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट , जिसमें वह पक्षकार है या वैयक्तिक रूप से हितबद्ध है कब ऐसे मामले का विचारण करेगा या विचारणार्थ सुपुर्द करेगा ?

A. उस न्यायालय की अनुज्ञा से जिसमें ऐसे न्यायालय या मजिस्ट्रेट के निर्णय से अपील होती है ।

(धारा 479)

Question 6. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 480 में क्या उपबन्ध किया गया है ?

A. इस धारा के अनुसार कोई प्लीडर , जो किसी मजिस्ट्रेट के न्यायालय में विधि व्यवसाय करता है , उस न्यायालय में या उस न्यायालय की स्थानीय अधिकारिता के अंदर किसी न्यायालय में मजिस्ट्रेट के तौर पर न बैठेगा ।

Question 7. उच्च न्यायालय अपनी अन्तर्निहित शक्तियों का प्रयोग किन उद्देश्यों के लिए कर सकता है ?

A.

(i) इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए , या

(ii) किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित करने के लिए या

(iii) किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए

(धारा 482)

Question 8. संहिता की अंतिम धारा कौन - सी है और उसमें क्या उपबन्ध प्रस्तुत किया गया है ?

A. अंतिम धारा 484 है इसमें निरसन तथा व्यावृत्तियों का उपबन्ध किया गया है ।